कार्यवृत्त

गुरूवार, 28 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक 19 मार्च, 2015 ई0)

खण्ड–42
अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर 'जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर वाखरपुर से अपहृत दीपक सैनी का आज तक पता न चलने के सम्बन्ध में' नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रश्नकाल के बाद इसका संज्ञान ले लेंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अपने स्थानों पर खड़े मा0 सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

आज नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी। जो पढ़ी हुई मानी गईः–

1. श्री राजकुमार ठुकराल	विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में प्रमुख सड़क सम्पर्क मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में।
2. श्री तीरथ सिंह रावत	उत्तराखण्ड में जिला पंचायतों में अनेकों पद रिक्त होने से विभागीय कार्यो में हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में।
3. श्री दान सिंह भण्डारी	जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़, धारी, ओखलकाण्डा आदि क्षेत्रों में बेमौसमी बरसात से फसलों की क्षति होने से गंम्भीर संकट पैदा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।
4. श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी में कई वर्षो से सील्ट उठाने के सम्बन्ध में।
5. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में विकास खण्ड पाटी का खेतीखान राज्य एलोपैथिक चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री पुष्कर सिंह धामी	जनपद ऊधमसिंहनगर के खटीमा विधान सभा के मेलाघाट, बन्धा, बलुआ खैरानी, वगुलिया में जलभराव से लोगों में व्यापत रोष के सम्बन्ध में।
7. श्री राजेश शुक्ला	प्रदेश मे 910 शिक्षा आचार्य/अनु0 3 जून 2012 से शिक्षा मित्र में समायोजन की मांग के सम्बन्ध में ।

श्री कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन', सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार की सूचना पर मा0 अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इसमें पहले एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था, उसमें निर्णय हुआ है। विधान सभा के दिनांक 20 जनवरी, 2014 के उपवेशन में मा0 सदस्य श्री कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' द्वारा सदन में उत्तराखण्ड वन विकास निगम में हुई अनियमितता के संबंध में पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के क्रम में पीठ द्वार संबंधित प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम द्वारा भूमि क्रय में की गई निविदा संबंधी अनियमितताओं की जांच किये जाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकरण की जांच के लिए मेरे द्वारा तीन सप्ताह का समय दिये जाने तथा संबंधित अधिकारी जांच को प्रभावित न कर सके इसके लिए उसका अटैचमेन्ट दूसरी जगह कर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव द्वारा कराई गई जांच आख्या से स्पष्ट होता है कि निजी भूमि क्रय के संबंध में प्रबन्ध निदेशक/निगम के स्तर पर न्यून प्रक्रियात्मक त्रुटि अवश्य प्रतीत होती है, यद्यपि अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर किसी भूमि के चयन और क्रय के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक के स्तर पर नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में ऐसे कोई अन्य अभिलेख अथवा प्रकरण उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे कथित आशंका को बल मिलता हो, चूंकि निजी भूमि क्रय हेतु कोई अन्तिम चयन/निर्णय न तो हुआ है, नहीं कोई निजी भूमि अन्तिम रूप से क्रय कर ली गई है। अतः इस प्रकरण की आशंका निराधार प्रतीत होती है कि डा0 एस0 चन्दोला द्वारा निजी भूमि क्रय की प्रक्रिया में कोई स्वार्थ सिद्धि की गई है अथवा अपने संबंधियों को कोई वित्तीय लाभ पहुंचाया गया है।

उपरोक्त जांच के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गई तथा प्राप्त आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण को समाप्त किया जाता है एवं संबंधित अधिकारी का अटैचमेन्ट तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल, मठखानी कुलानटेश्वर के लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायक की, की गई अवमानना संबंधी सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य विधान सभा के नियम– 65 की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसका परीक्षण कर अवगत करा दिया जायेगा।

जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर वाखरपुर से अपहृत दीपक सैनी का आज तक पता न होने से उत्पन्न स्थिति पर दी गई नियम–310 के अन्तर्गत सूचना को वे ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

राज्य सरकार द्वारा अनुमति पत्र दिए जाने के अपरान्त भी जनपद हरिद्वार में आटो रिक्शा के परमिट जारी न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

तीर्थ नगरी ऋषिकेश एवं हरिद्वार में गंगा जी में सीवरेज का गन्दा पानी बहाये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष एवं श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्यों व पेयजल मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत छावनी परिषद गढ़ी कैण्ट में ट्यूबवैल निर्माण में हो रही देरी से पेयजल संकट बढ़ने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री गणेश जोशी व श्री अरविन्द पाण्डे, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं हुए।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जौलजीवी झूलाघाट में 18 कि0मी0 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर वाखरपुर में अपहृत दीपक सैनी का आज तक पता न होने विषयक नियम–310 सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, श्री संजय गुप्ता, श्री आदेश चौहान, श्री यतीश्वरानन्द व चन्द्रशेखर, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्यों व गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा श्रीमती रेखा आर्य के भाषण से पुनः आरम्भ हुई तथा निम्न सदस्यों ने चर्चा में विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री चन्द्र शेखर

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 58 मिनट पर 03:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के पश्चात् सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री हरबंश कपूर के भाषण से पुनः आरम्भ हुई तथा निम्न सदस्यों ने चर्चा में विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
2. श्री पुष्कर सिंह धामी
3. श्रीमती शैला रानी रावत
4. श्री प्रेम सिंह राणा
5. श्री संजय गुप्ता
6. श्री यतीश्वरानन्द
7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
8. श्री हीरा सिंह बिष्ट
9. श्री दान सिंह भण्डारी
10. श्री आदेश चौहान
11. श्री मदन बिष्ट
12. श्री गणेश जोशी
13. श्री मदन कौशिक
14. श्री तीरथ सिंह रावत एवं,

श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष के विचारोपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 166939 हजार (रूपये सोलह करोड उन्हत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–05 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–05 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(2) वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 48038677 हजार (रूपये चार हजार आठ सौ तीन करोड़ छियासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने भी अपने विचार रखे।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–07 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(3) राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 20848771 हजार (रूपये दो हजार चौरासी करोड़ सत्तासी लाख इक्हत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य, श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे।

राजस्व मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–06 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(4) सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 416521 हजार (रूपये इक्तालीस करोड़ पैंसठ लाख इक्कीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य, श्री विशन सिंह चुफाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट, ने भी अपने विचार रखे।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–18 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(5) सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 10096738 हजार (रूपये एक हजार नौ करोड़ सड़सठ लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, प्रेम चन्द्र अग्रवाल एवं स्वामी यतीश्वरानन्द ने भी अपने विचार रखे।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–20 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 16696351 हजार (रूपये एक हजार छः सौ उन्हत्तर करोड़ तिरसठ लाख इक्यावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री बंशीधर भगत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–12 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(7) ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 14712256 हजार (रूपये एक हजार चार सौ इक्हत्तर करोड़ बाईस लाख छप्पन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

ग्राम्य विकास कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–19 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(8) खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3447032 हजार (रूपये तीन सौ चौवालीस करोड़ सत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य, श्री दान सिंह भण्डारी ने भी अपने विचार रखे।

खाद्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–25 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(9) पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2005951 हजार (रूपये दो सौ करोड़ उनसठ लाख इक्यावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य, श्री गणेश जोशी एवं श्री माल चन्द्र ने भी अपने विचार रखे।

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–26 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(10) उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1953427 हजार (रूपये एक सौ पच्चानवें करोड़ चौतीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य श्री माल चन्द, सदस्य विधान सभा, श्री अजय भट्ट, मा0 नेता प्रतिपक्ष व श्री मदन कौशिक, ने भी अपने विचार रखे।

उद्यान मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–29 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(11) शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 56755261 हजार (रूपये पांच हजार छः सौ पच्हत्तर करोड़ बावन लाख इक्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

शिक्षा मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–11 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(12) वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 6265804 हजार (रूपये छः सौ छब्बीस करोड़ अठ्टावन लाख चार हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री बंशीधर भगत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

वन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–27 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(13) पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 9040126 हजार (रूपये नौ सौ चार करोड़ एक लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री हरबंश कपूर ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

माननीय सदस्य, श्री गणेश जोशी ने भी अपने विचार रखे।

नगर विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री हरबंश कपूर द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–13 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम– 88 में प्राविधान है कि यदि मंत्री कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वे सात दिन की सूचना देंगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि समय सीमा को कम भी किया जा सकता है, जैसा कि अध्यक्ष को अधिकार है। अतः व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ।

(14) कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5262269 हजार (रूपये पांच सौ छब्बीस करोड़ बाईस लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाएं।

माननीय सदस्य, श्री दलीप सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे।

कृषि मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–17 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में उपखनिज का चुगान कितने सालों से न किये जाने एवं इसके कारण नदी का जलस्तर तटबन्ध के बराबर हो जाने से ढालवाला एवं मुनी की रेती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाने विषयक नियम–51 की सूचना पर श्री सुबोध उनियाल, सदस्य, विधान सभा के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा शासन स्तर पर वेतनवृद्धि के निर्धारण हेतु वित्तीय नियम संग्रह के मूल नियमों का उल्लंघन एवं शासनादेशों का गलत क्रियान्वयन विषयक, नियम–51 की सूचना पर श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वे इनमें से–

'' जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के संबंध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

''जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में 15 अगस्त, 2014 को आयी आपदा से कई ग्रामों में मकान एवं फसलें नष्ट होने के कारण पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सुन्दरखाल ग्राम चुकम एवं आंशक अमरपुर के विस्थापन के संबंध में, श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

राज्य के सीमान्तर्गत नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के क्षेत्र में हो रहे अनियोजित विकास के संबंध, में श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, आवास मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

सदन की कार्यवाही 09 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(गोविन्द सिंह कुंजवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।